न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2016

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA) जिला परिषद् बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

श्रीमति द्रोपदी बाई भील, ग्राम मियाड़ा, ग्राम पंचायत पछाड़, पंचायत समिति–छीपाबड़ौद, जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थिया)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. प्रार्थी प्रतिनिधि (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 28.10.2022

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थिया इस आशय का प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 (विशेष अभियान) सामाजिक अंकेक्षण में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति/ ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा तैयार प्रपत्र–4 में उल्लेखित किया है कि ''पूर्व खरंजे से एस.सी. बस्ती तक खरंजा निर्माण कार्य'' के तखमीने में खरंजा निर्माण में पी.सी.सी. होना है लेकिन सत्यापन के दौरान पी.सी.सी. नहीं होना पाया गया। इसके लिए अप्रार्थिया को दोषी माना गया तथा अप्रार्थिया द्वारा 4170/–रूपये राशि का गबन मानते हुए उक्त कार्य में संलिप्त व्यक्तियों में उक्त राशि वसूली का निर्णय लिया गया। प्रकरण की अधिशाषी अभियन्ता से जांच करायी गयी जिनकी रिपोर्ट को सही मानते हुए दोषियों तत्कालीन ग्राम सचिव, तत्कालीन सरपंच एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक से राशि वसूली का निर्णय लिया गया जिसकी अनुपालना में ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा 4170/–, 4170/– कुल 8340/– रूपये जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर ली। शेष 4170/– रूपये तत्कालीन सरपंच श्रीमति द्रोपदी बाई भील, ग्राम मियाड़ा द्वारा नोटिस जारी किये जाने एवं कई बार मौखिक अवगत कराने पर भी जमा करवाने [illegible] नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया से [illegible] राशि मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज वसूल करने हेतु आदेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3— अप्रार्थिया बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया।

4— हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी प्रतिनिधि की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 विशेष अभियान के तहत किये गये सामाजिक अंकेक्षण में कार्य ''पूर्व खरन्जे से एस.सी. बस्ती तक खरन्जा निर्माण कार्य'' के तखमीने में पी.सी.सी. का प्रावधान होने के उपरान्त भी मौके पर खरन्जा निर्माण में पी.सी.सी. का अभाव पाये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन सरपंच, ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक से राशि 4170/— रूपये प्रत्येक से वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय की पालना में तत्कालीन ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने आरोपित राशि 4170/— रूपये प्रत्येक ने जमा करवा दी है परन्तु तत्कालीन सरपंच अप्रार्थिया द्वारा नोटिस जारी किये जाने व मौखिक अवगत करवाने के पश्चात भी आज दिनांक तक वसूली योग्य राशि 4170/— रूपये जमा नहीं करवाये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थिया के विरूद्ध उक्त राशि मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

5— हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी प्रतिनिधि पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 विशेष अभियान के तहत किये गये सामाजिक अंकेक्षण में कार्य ''पूर्व खरन्जे से एस.सी. बस्ती तक खरन्जा निर्माण कार्य'' के तखमीने में पी.सी.सी. का प्रावधान होने के उपरान्त भी मौके पर खरन्जा निर्माण में पी.सी.सी. का अभाव पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध प्रत्येक से 4170/— रूपये वसूल किये जाने के लिये गये निर्णय अनुसार तत्कालीन ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने वसूली योग्य राशि 4170/— रूपये प्रत्येक ने जमा करवा दी है परन्तु तत्कालीन सरपंच अप्रार्थिया द्वारा आज दिनांक तक वसूली योग्य राशि 4170/— रूपये जमा नहीं करवाये हैं।

6— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थिया श्रीमति द्रोपदी बाई भील, ग्राम मियाड़ा, ग्राम पंचायत पछाड़, पंचायत समिति—छीपाबड़ौद, से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 4170/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थिया से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA), जिला परिषद, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर न्यायालय
बारां (राज०)